POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.02.2026

1. थाना दादरी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त (01 घायल) व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बाका (आलाकत्ल), अवैध शस्त्र व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 16.02.2026 को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत कठहैरा रोड़ शिव वाटिका कॉलोनी के पास अज्ञात शव मिलने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, पम्पलेट व सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन आदि के माध्यम से प्रयास करने के उपरान्त शव की शिनाख्त गोविन्द रावल उर्फ भूरा पुत्र भूदेव निवासी ग्राम घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई। उक्त सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के भाई गोविन्द रावल उर्फ भूरा की हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0071/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उक्त घटना के अनावरण हेतु तत्काल 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक **19-02-2026** को **थाना दादरी पुलिस द्वारा** हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त 1-रोहित रावल पुत्र शैलेन्द्र उर्फ शीलेन्द्र रावल 2-नफीस पुत्र रफीक (घायल अवस्था में) को पुलिस मुठभेड़ के दौरान कोट नहर से ग्राम चक्रसेनपुर वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 बाका (आलाकत्ल), 01 अवैध देशी तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई। थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा घटना से संबंधित अभियुक्त 3-धर्मन्द्र पुत्र सुरेन्द्र रावल व अभियुक्ता 4-प्रीति देवी पत्नी गोविन्द रावल उर्फ भूरा को म्यू-2 से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त रोहित द्वारा बताया गया कि गोविन्द रावल(मृतक) उसके ही गांव का रहने वाला था, वह अपनी पत्नी प्रीति देवी के साथ दारु पीकर मार-पीट करता था। लगभग दो वर्ष पूर्व अभियुक्त रोहित के प्रीति के साथ अवैध सम्बन्ध हो गये थे। कुछ दिन पूर्व प्रीति व रोहित ने मिलकर गोविन्द को रास्ते से हटाने की ठान ली। दिनांक 12.02.2026 को रोहित, गोविन्द को उसके घर से बुलाकर अपने मित्र धर्मेन्द्र की मोटरसाइकिल पर बैठाकर दादरी ले आया। पूर्व योजना के तहत अभियुक्त रोहित द्वारा अपने दोस्त नफीस पुत्र रफीक को चाकू लेकर जीटी रोड़ चिटहैरा पैट्रोल पम्प के पास शराब के ठेके पर बुलाया। वहां से शराब खरीदकर रोहित, नफीस व गोविन्द रावल(मृतक) द्वारा खाली पड़े प्लाट में बैठकर शराब पी गयी। जब गोविन्द शराब के नशे में धुत हो गया तो रोहित द्वारा गोविन्द के हाथ पकड़ लिये गये और नफीस द्वारा बांका से हमला करके गोविन्द को मौके पर ही मार दिया गया व शव को वही बाउन्ड्री के किनारे डाल दिया गया। घटना के बाद नफीस और रोहित अपने-अपने घर चले गये थे तथा दिनांक 15.02.26 को रोहित द्वारा अपने दोस्त धर्मेन्द्र के साथ पुन: घटनास्थल पहुँचकर डेडबॉडी को वहाँ से उठाकर छिपाने के उद्देश्य से थोडी दूर पास में ही छिपा दिया गया।

अभियुक्तों का विवरण--

1- रोहित रावल पुत्र शैलेन्द्र उर्फ शीलेन्द्र रावल निवासी ग्राम घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2- नफीस पुत्र रफीक निवासी कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर। (घायल)

3- धर्मेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र रावल निवासी घोडीबछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्ता का विवरण--

4- प्रीति देवी पत्नी गोविन्द रावल उर्फ भूरा निवासी ग्राम घोडी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 071/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त रोहित रावल--**

1. मु0अ0सं0 071/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 073/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 418/2024 धारा 115(2)/118(1)/351(2) बीएनएस थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 504/2023 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 619/2022 धारा 60/63 आबकारी एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 58/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 218/2019 धारा 147/148/149/307/452/504 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 736/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 944/18 धारा 379/411 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 478/2015 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त नफीस--**

1. मु0अ0सं0 071/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 073/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 535/2018 धारा 379/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 540/2018 धारा 411/414/420/467/468 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 541/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 573/2018 धारा 379/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 बांका (आलाकत्ल)

2- 01 मोटरसाइकिल नं0 UP16DP4829 (घटना में प्रयुक्त)

3- अभियुक्त नफीस के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.02.2026** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से 01 अभियुक्त दुर्वेश कुमार बैसोया पुत्र ब्रह्मपाल सिंह को हनुमान चौराहा के पास सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 01 जिंदा कारतूस .32 बोर, 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 18.02.2026 को थाना बिसरख पर एक निजी अस्पताल से घायल पुष्पेन्द्र पुत्र संतोष उम्र 18 वर्ष निवासी देव विहार कॉलोनी, लाल कुँआ, गाजियाबाद को हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना बिसरख पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि एक सगाई समारोह के कार्यक्रम में कार्य कर रहे पुष्पेंद्र को गोली लग गई, जिस पर थाना बिसरख पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- दुर्वेश कुमार बैसोया पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी रिस्तल, थाना टीलामोड़, गाजियाबाद वर्तमान पता दिलशाद गार्डन, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 125/2026 धारा 110/109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

01 अवैध पिस्टल मय 01 जिंदा कारतूस .32 बोर, 01 खोखा कारतूस .32 बोर।